झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आषाढ़, 1940 (श०)

संख्या- 624   राँची, बुधवार   27 जून, 2018 (ई०)

उद्योग विभाग

अधिसूचना

20 जून, 2018

विषयः वर्तमान में प्रवृत्त SEZ (Special Economic Zone) Policy, 2003 को निष्प्रभावी एवं भारत सरकार द्वारा जारी SEZ Act, 2005 एवं Rules को अंगीकृत करने के संबंध में ।

संख्या- 06/उ०नि०/विविध (SEZ) – 15/2018- 1690-- झारखण्ड सरकार द्वारा SEZ (Special Economic Zone) Policy, 2003 ज्ञापांक 2460 दिनांक 2 अगस्त, 2003 के द्वारा अधिसूचित की गयी थी । उक्त नीति के आधार पर SEZ (Special Economic Zone) स्थापित करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई, परन्तु इसमें कोई विशेष सफलता नहीं मिली ।

भारत सरकार द्वारा SEZ Act, 2005 एवं Rules को वर्तमान में लागू किया गया है । SEZ Act, 2005 की धारा-1 (2) में स्पष्ट है कि "*It extends to the whole of India*" झारखण्ड राज्य में भी उक्त

SEZ Act, 2005 के अनुरूप ही कार्य किया जाना है । राज्य में प्रवृत्त वर्तमान SEZ Policy, 2003 की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गयी है ।

राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 19 जून, 2018 को आहूत बैठक में मद संख्या 15 के रूप में लिए गए निर्णय के क्रम में निम्नवत निर्णय लिए जाते हैं -

1. वर्तमान में प्रवृत्त Jharkhand SEZ Policy, 2003 को निष्प्रभावी की जाती है । तथा भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित SEZ Act, 2005 एवं नियमावली (Rules) को अंगीकृत किया जाता है ।

2. वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा दिए गए सुझाव "There was exemption from payment of service tax as well as levy of taxes on sale and purchase of goods under CST Act, 1956 under SEZ rules. Both the Acts have been repealed under the GST regime.
The state government has no power to exempt from any taxes under GST regime. Any exemption under GST will be given on recommendation of GST Council [Under section 11 of GST Act]"

Hence power to grant exemption under GST lies with the GST Council. अतएव GST Council के द्वारा लिये गये निर्णय प्रभावी होंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव,
उद्योग विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 624 -- 50